

राजस्थान सरकार

न्यायालय नायब तहसीलदार गुड़ामालानी जिला बाड़मेर

प्रकरण संख्या 11/2024

सायल

राजस्थान सरकार जरिये
हल्का पटवारी गांधव कला

बनाम

गैर सायल

राजूराम पुत्र वरजांगाराम जाति
विशुनोई निवासी गोदारों की ढाणी
तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर

प्रकरण अन्तर्गत धारा 91 राजस्थान भू - राजस्व अधिनियम 1956

दिनांक 08.11.2024

:-निर्णय:-

प्रकरण से संक्षिप्त में तथ्य निम्न प्रकार है कि पटवारी हल्का गांधव कला ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि सरहद मौजा गोदारों की ढाणी राजकीय भूमि ख. न. 62/1 रकबा 1.6754 हैक्टेयर किस्म बारानी सोयम(राजकीय भूमि) में से 0.5584 हैक्टेयर व खसरा नं. 62/4 रकबा 0.3237 हैक्टेयर किस्म बारानी सोयम(राजकीय भूमि) में से 0.2428 हैक्टेयर भूमि पर बाड़ बनाकर अनाधिकृत कब्जा किया है। अतः गैर सायल के खिलाफ कानूनी कार्यवाही करने तथा उक्त भूमि से बेदखल करने का निवेदन किया। पटवारी के प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर कर गैर सायल को नोटिस जारी किये गये।

सुनवाई की नियत तिथि दिनांक 16.10.2024 को सायल हल्का पटवारी उपस्थित, गैर सायल अनुपस्थित। पुनः सुनवाई का अवसर दिया जाकर दिनांक 08.11.2024 को जवाब हेतु समय दिया गया तदुपरान्त गैर सायल अनुपस्थित रहने से इससे स्पष्ट जाहिर होता है कि गैर सायल कोई जवाब प्रस्तुत नहीं करना चाहता है। अतः गैर सायल के विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है।

अतः हमने पत्रावली का अध्ययन एवं अवलोकन किया। प्रश्नगत भूमि सरकारी (बारानी सोयम) है। जिस पर गैर सायल द्वारा बाड़ बनाकर अनाधिकृत कब्जा साबित होता है। अतः गैर सायल को उक्त भूमि का अतिक्रमी घोषित किया जाकर लगान 0.46 रुपये का राउण्ड अप 01 रुपये का 50 गुना शास्ति आरोपित करते हुए 300 रुपये का जुर्माना आरोपित किया जाता है। गैर सायल को उक्त भूमि से बेदखल करने के आदेश दिये जाते हैं तथा अनाधिकृत रूप से किये गये कब्जे को हटाकर भूमि को सरकारी तहवील में लेने तथा नियमानुसार जुर्माना वसूल कर जुर्माना राशि राजकोष में जमा करवाने के आदेश दिये जाते हैं। बेदखली एवं जुर्माना वसूली हेतु हल्का पटवारी, भू.अ.नि. तथा मांग कायमी हेतु तहसील राजस्व लेखाकार सूचित हो।

निर्णय आज दिनांक 08.11.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

(गिराज प्रसाद शर्मा)

नायब तहसीलदार गुड़ामालानी

